

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक..... **B/1901** / चार-09-18 / 20

जबलपुर, दिनांक **30** / 03 / 2022

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 926/गोपनीय/2021 जबलपुर दिनांक 27 सितम्बर, 2021 द्वारा श्री कमर इकबाल खान, (सेवानिवृत्त) उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को जिला न्यायाधीश(चयन ग्रेड) (Selection Grade Scale)के वेतनमान रूपये 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290 /- प्रदान किये जाने तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 2446/21-ब(एक) दिनांक 15.04.2019 द्वारा चयन ग्रेड वेतनमान रूपये 57700-70290 /- में प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

पूर्व में न्यायाधीश (चयनग्रेड) में नियुक्ति का दिनांक	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड)स्वीकृत किये जाने का पुनरीक्षित दिनांक	नियुक्ति दिनांक को एंट्री वेतन व दिनांक तथा चयनग्रेड वेतनमान में आगामी वे0वृ0 का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
-	11.04.2019	57700.00 11.04.2019 11.04.2020 11.04.2021 (दि0 31.05.2021 को सेवानिवृत्त)	58930.00 60310.00 61690.00	11.04.2019 01.04.2020 01.04.2021

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)

जबलपुर, दिनांक **30** / 03 / 2022

पृष्ठांकन क्रमांक..... **B/1902** / चार-12-14 / 10
प्रतिलिपि:-

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल, ताज कैम्पस, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित)/सहायक सेवा पुस्तिका (पेशन), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. श्री कमर इकबाल खॉं, सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश,द्वारा-ए.जे.खॉं, सेवानिवृत्त, जिला जज, 140,रिलायबल हाईटेक सिटी,होली फेमिली स्कूल के पास,राष्ट्रीय राजमार्ग 12, वार्ड नं0 01 गांधीनगर, भोपाल।
की ओर सूचनाथ अग्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)